निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 12) पटना, वृहस्पतिवार, 5 जनवरी 2012

गन्ना उद्योग विभाग

——————

आदेश

4 जनवरी 2012

सं0 रिमाण्ड संख्या 02/2011–12–37—रिमाण्ड वाद संख्या 02/2011–12 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील केस नं0–3/2010–11 मेसर्स हरिनगर चीनी मिल, हरिनगर बनाम तिरूपति सुगर्स मिल एवं अन्य में दिनांक 02 सितम्बर 2011 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार अपील वाद को ईखायुक्त के यहा पुर्नविचार हेतु वापस (Remand) किया गया है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा उस क्रम में ईखायुक्त को निम्न आदेश दिया गया है :–

"Claims and counterclaims make up an interesting reality of the present scenario. Both factories want to increase the number of crushing days. What is not under dispute is the fact that both have been operating below their capacity because of non availability of cane. If there are shortages, it should be evenly distributed. The Cane Commissioner is undertaking an exercise of fresh demarcation of reserve area. Lauria sugar mill has also come up in the area and will be starting crushing from the present season. Naturally a fresh exercise for demarcation of the area will have to be undertaken. Hence, the matter is remanded to the Cane Commissioner who is the competent authority to consider the claims and counterclaims of these two sugar mills- Harinagar and Bagha as well as the new sugar mill in the area and decide on just and equitable distribution of reserve area, keeping in mind the crushing capacities of these mills."

अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित निदेश में यह अंकित है कि ईखायुक्त अपीलार्थी मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स एवं प्रतिवादी मेसर्स बगहा चीनी मिल एवं उस क्षेत्र में नवजात लौरिया चीनी मिल की पेराई क्षमता के परिपेक्ष्य में गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दावे एवं प्रतिदावे की सुनवाई के पश्चात् समीक्षोपरान्त समानुपातिक रूप में वितरण कर इन ग्रामों का आरक्षण किये जाने के संबंध में निर्णय लें।

" प्रश्नगत वाद में भितहाँ अंचल के 4 ग्राम यथा के0मानपुर राजस्व थाना नं0–395 कन्हैयापुर, राजस्व थाना नं0–406, प्रेमही राजस्व थाना नं0–408 एवं के0बसौली राजस्व थाना नं0–299 तथा मधुबनी अंचल के तीन ग्राम यथा कुरिया–राजस्व थाना नं0–296, कउलाहा राजस्व थाना नं0–297 एवं मठिया राजस्व थाना नं0'–298

अर्थात कुल 7 ग्राम सन्निहित हैं, जो वर्तमान में मेसर्स तिरूपति सुगर्स मिल लि0, बगहा को आरक्षित है तथा जिसके विरूद्ध हरिनगर चीनी मिल द्वारा यह अपील दायर किया गया है जो वर्तमान में रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में आया है।

सुनवाई के दौरान तीनों चीनी मिलों के अधिवक्ताओं को सुना गया। सुनवाई के दौरान सभी के द्वारा अपने–2 पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की अनउपलब्धता का रोना रोते हुए तथा उसे अपने क्षेत्र के समीप होने का दावा करते हुए अपने–अपने पक्ष में आरक्षित करने का अपना–अपना दलील दिया गया।

क्र0 सं0	चीनी मिल का नाम	पेराई क्षमता	परम्परागत /अपरम्परागत रूप में कुल आरक्षित ग्रामों की संख्या	N.C.R (लाख क्विंटल में)	गन्ने की उपलब्धता (लाख क्विंटल में)
1	तिरूपति सुगर्स लि0, बगहा	3500 TCD से 5000 TCD तक विस्तारित.	302	45.96	52.17
2	हरिनगर सुगर मिल्स हरिनगर, प0 चम्पारण	10000	418	136.47	95.00
3	लौरिया सुगर मिल	3500	171	45.50	32.36

सुनवाई के क्रम में प्रश्नगत 7 ग्रामों की भौगोलिक स्थिति का नक्शे पर अवलोकन किया गया। जिस क्रम यह परिलक्षित हुआ कि लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के ग्रामों की निरन्तरता उपरांकित 7 ग्रामों से नहीं है। इसलिये इन प्रासंगिक ग्रामों को उपनिवेश के तौर पर पूर्ण रूपेण या आंशिक रूपेण लौरिया चीनी मिल के साथ संबद्ध करने पर विचार करना समीचीन नहीं जान पड़ता है।

हरिनगर चीनी मिल एवं बगहा चीनी मिल को आरक्षित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, उनकी पेराई क्षमता तथा निर्धारित अपेक्षित ईख की मात्रा के विरूद्ध संभावित गन्ने की उपलब्धता तथा क्षेत्रों की निरन्तरता को ध्यान में रखते हुए नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से भितहाँ अंचल के ग्राम के0 मानपुर राजस्व थाना नं0–395, कन्हैयापुर राजस्व थाना नं0–406, प्रेमही राजस्व थाना नं0–408 एवं के0बसौली राजस्व थाना नं0–299 कुल चार ग्राम को हरिनगर चीनी मिल के साथ संबद्ध करते हुए उनके लिये वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक कुल तीन वर्षों के लिये अपरम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है।

साथ ही मधुबनी अंचल के ग्राम –कुरिया राजस्व थाना नं0–296, कउलाहा राजस्व थाना नं0–297, एवं ग्राम मठिया राजस्व थाना नं0–298 कुल तीन ग्रामों को बगहा चीनी मिल के साथ अपरम्परागत रूप में पेराई सत्र 2011–12 से 2013–14 तक कुल तीन वर्षों के लिये आरक्षित किया जाता है।

2. उपरोक्त आदेश के आलोक में आदेश संख्या 1414, दिनांक 17 अगस्त 2010 एवं 1421, दिनांक 17 अगस्त 2010 द्वारा निर्गत क्षेत्र आरक्षण आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश से,
लक्ष्मेश्वर झा,
ईखायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 12-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in